प्रेषण शाखा
14.6
E-mail

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–................

संख्या–8/आ0 (राज0 उ0)–2–19/2015–2137/ श्री प्रिय रंजन, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, प0 चम्पारण, वेतिया सम्प्रति अधीक्षक मद्य निषेध, सिवान के विरूद्ध (1) कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण राजस्व क्षति (2) अनुज्ञप्ति का विलंब से विघटन एवं राजस्व क्षति की सूचना जिला पदाधिकारी को नहीं देना (3) विखंडित दुकानों के पुर्नबंदोबस्ती हेतु न तो प्रयास किया गया और न ही बकाये राशि की वसूली की गयी जिसके कारण राजस्व क्षति (4) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का उल्लंघन करना (5) वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिना अनुज्ञाशुल्क लिये दुकानों को संचालित होने के कारण जुलाई 15 तक रू. 4,28,41,260/– का बकाया होना एवं (6) पद का दुरूपयोग करना आदि आरोप में संकल्प सं0–2244 दिनांक 15.03.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–234 दिनांक 22.02.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन में आरोप सं0–01, 02 (क) (ख) (ग) (घ), आरोप सं0–03, 04, 05 को प्रमाणित तथा आरोप सं0–06 को आंशिक प्रमाणित निष्किर्षित किया गया है ।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 के तहत् संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपो पर विभागीय पत्रांक–896 दिनांक 15.03.18 द्वारा श्री प्रियरंजन से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी है । श्री प्रियरंजन ने अपने पत्रांक–903 दिनांक 09.10.2018 द्वारा द्वितीय बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें राजस्व क्षति के स्थान पर वसूलनीय राशि मानते हुए सारे आरोपों से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री प्रियरंजन से प्राप्त बचाव वयान के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2015 के नियम–14 (vi) के तहत् 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–818 दिनांक 07.03.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–529 दिनांक 07.06.2019 द्वारा सम्यक् विचारोपरांत विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है। अतएव श्री प्रियरंजन के बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (vi) के तहत् 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14/06/19
(अभय राज)
सरकार के अपर सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–19/2015 –............../ पटना, दिनांक–...................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–19/2015 –............../ पटना, दिनांक–...................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/ अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिवान/अधीक्षक मद्य निषेध, सिवान/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री प्रियरंजन, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, प0 चम्पारण सम्प्रति अधीक्षक मद्य निषेध, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
बिहार, पटना।